

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****दाण्डिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2090 वर्ष 2026****सूरज निषाद**

..... आवेदक

बनाम**प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य**

..... विरोधी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता : राजीव मिश्रा, ज्योति रावत, मूल शंकर मिश्रा, राम समुझ रावत**विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.), गणेश कुमार गुप्ता, नीरज कुमार राय**

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से केस क्राइम संख्या 619 वर्ष 2025, अन्तर्गत धारा 61(2)(ए), 109(1), 191(2), 191(3), 190 भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली अयोध्या, जनपद- अयोध्या में, उसे जमानत पर अवमुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष व्यक्ति है तथा उसे प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है और वह दिनांक 05.10.2025 से कारागार में है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि अभियोजन कथानक के अनुसार क्षति मोहित पाण्डेय एवं धरमवीर पाण्डेय द्वारा पहुँचाई गई थी तथा केवल अभियुक्तगण के साथ संसर्ग में होने के कारण आवेदक को प्रकरण में घसीटा गया है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आवेदक तीन अन्य वादों में भी आलिप्त किया गया था तथा समस्त वादों में वह जमानत पर है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है तथा भविष्य में किसी अवैध क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं होगा। इन परिस्थितियों में आवेदक जमानत का अधिकारी है। जमानत पर अवमुक्त किए जाने की दशा में वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया तथा निवेदन किया कि आवेदक ने अभियुक्त मोहित पाण्डेय को पिस्टल उपलब्ध कराकर उसे सुकर बनाया, किन्तु वे इस तथ्य पर विवाद नहीं करते कि गोली चलाने की भूमिका मोहित पाण्डेय को अध्यारोपित की गई है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के प्रतिपक्षी निवेदनों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु, अन्य सुसंगत अभिलेखों, अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि गोली चलाने की भूमिका मोहित पाण्डेय एवं धरमवीर पाण्डेय को अध्यारोपित की गई थी, अतः मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर अवमुक्त किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. आवेदक- **सूरज निषाद** को उपरोक्त केस क्राइम में, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाए :-

(i) आवेदक कोई ऐसा अपराध न करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसका वह अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का संदेह है।

(ii) आवेदक प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को, उसे ऐसे तथ्य न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत करने हेतु, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर, जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं चाहेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की दशा में विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की दशा में विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए/भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए/भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अन्तर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के प्रारम्भ, (2) आरोप विरचन तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति साशय अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी भंग की दशा में, वह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

जून 8, 2026

गौरव

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।